

22.01.25 पत्रावली पेश। उभय पक्ष वकील उप०।
उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
पत्रावली व सलंगन दस्तावेजों का अवलोकन
करने, बहस तथ्यों पर मवन करने पर
पाया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण
रिकॉर्ड्स खातेदार हैं। तथा प्रार्थीगण
व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद व
मामलों की बहुलता रोकने हेतु मूल
वाद के विस्तारण तक आदेशिका
दिनांक 22.12.2015 के अनुसार उभय
पक्ष राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा-
स्थिति बनाये रखेंगे। इस आशय की
असुधार्ई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
पत्रावली फंसल शुभार लेकर नंबर ले
क्रम ही।

(प०)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड जायफरा, सांचौर)

